न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/18/2026	2026/66	10.04.2026	14.05.2026

1– जानमौहम्मद पुत्र ईसाक जाति मेव निवासी ग्राम कारेण्डा तहसील टपूकडा जिला खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– फजरी पत्नी हसन मौहम्मद जाति मेव निवासी कारेण्डा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा।

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार टपूकडा दिनाक 11.02.2026 प्रकरण संख्या 66/2025 उनवान फजरी बनाम सरकार किस्म धारा 135 (2)

उपस्थित–

01. श्री रामनिवास सैनी –वकील अपीलान्ट

02. श्री रामअवतार यादव –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2026 प्रकरण संख्या 66/2025 उनवान फजरी बनाम सरकार किस्म धारा 135 (2) से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट 1 फजरी के द्वारा तहत अदालत के समक्ष आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) का पेश कर निवेदन किया गया है, कि आराजी खसरा न0 265, 274, 554, 261, 249, 559, 48, 51, 307, 312, 276, 277, 266, 267, 268, 133, 177, 220, 241, 242, 243, 260, 36, 427, 428, 558, 611, 613 वाके ग्राम कारेण्डा तहसील टपूकडा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति हसन मौहम्मद पुत्र ईसाक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट के पति हसन मौहम्मद पुत्र ईसाक की मृत्यु दिनाक 07.12.2025 को हो गयी। परिवारजन और संरपच आपस में मिलकर आरजी को हडपना चाहते है। इस लिऐ मेरे नाम विरासत का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। अन्य कोई वारिसान नही है। तहत अदालत द्वारा दिनाक 31.12.2025 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी। दिनाक 28.01.2026 को पटवारी हल्का की आंशिक अधूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई, उक्त अधूरी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 11.02.2026 पारित किया गया, उक्त आदेश के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1343 दिनाक 10.03.2026 तस्दीक किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजीयात खसरा संख्या 265, 274, 554, 261, 249, 559, 48, 51, 307, 312, 276, 277, 266, 267, 268, 133, 177, 220, 241, 242, 243, 260, 36, 427, 428, 558, 311, 313 वाके ग्राम कारेण्डा की आराजी अपीलार्थी के भाई/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति हसन मौहम्मद पुत्र ईसाक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, तथा हसन मौहम्मद ने उक्त आराजीयात अपने जीवन काल में ही स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्वि की अवस्था में अपीलाधीन भूमि का अधिकारी होने से अपना हिस्सा सम्पूर्ण दिनाक 08.05.2023 को हिबनामा अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया था, तथा उक्त हिबनामा की अनुपालना में अपीलान्ट ने कब्जा प्राप्त कर तत्समय से ही अपीलार्थी अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की गैर जानकारी व गैरमौजुदगी में आलोच्य आदेश पारित किया गया है, तहत अदालत के समक्ष

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अपीलान्ट पक्षकार नही था, इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पृथक से संलग्न है। तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट को दिनाक 27.03.2026 को राजस्व रिकार्ड देखने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई है। जिस पर कानूनी सलाह–मशवरा कर दिनाक 27.03.2026 को तहत अदालत के निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर दिनाक 27.03.2026 को नकल प्राप्त की गयी। आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी से अपील बिना देरी किये अन्दर मियाद पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो देरी हुई है, वह नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.02.2026 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा उक्त कार्यवाही विधि अनुसार की गयी है, अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार नही है, विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट के पति हसनमौहम्मद की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर रेस्पोडेन्ट के पति जीवनकाल काबिज रहा है। जिनकी मृत्यु उपरान्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट काबिज है, रेस्पोडेन्ट के पति हसनमौहम्मद ने अपीलाधीन आराजीयात का हिबानामा किया होता तब मृतक हसनमौहम्मद के जीवनकाल में ही अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपने नाम कराने की कार्यवाही अवश्य की जाती, अपीलान्ट द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी है, बल्कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन विवादित आराजी की बाबत रेस्पोडेन्ट के मृतक पति हसनमौहम्मद व अन्य सहकाश्तकारान के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकार टपूकडा के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा संख्या 459/2025 दिनाक 15.12.2025 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तथाकथित हिबा (दान) अपीलान्ट के पक्ष में नही किया गया है। विवादित आराजीयात की बाबत बंटवारा एवं हुक्मइम्तनाई दवामी बाबत वाद बनुवान जानमौहम्मद बनाम फजरी वगै0 मुकदमा संख्या 88/2026 दिनाक 12.03.2026 को रेस्पोडेन्ट व अन्य सहखातेदारान के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वाद अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात का मिन रेस्पोडेन्ट के पति हसनमौहम्मद की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1343 मिन रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज व मंजूर होने के बाद पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में निवेदन किया गया है, कि अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष पक्षकार नही था, इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पेश कर अपील किये जाने हेतु अनुमति चाही गयी है, न्यायहित में अपील किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.02.2026 प्रकरण संख्या 66/2025 उनवान फजरी बनाम सरकर के विरूद्व दिनाक 08.04.2026 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 27 दिन पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.02.2026 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 27.03.2026 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कारेण्डा अपीलार्थी के भाई/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति हसन मौहम्मद पुत्र ईसाक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, हसन मौहम्मद ने आराजीयात अपने जीवन काल में ही स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्दि की अवस्था में भूमि का अधिकारी होने से अपना हिस्सा सम्पूर्ण दिनाक 08.05.2023 को हिबनामा अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया था, उक्त हिबनामा की अनुपालना में अपीलान्ट ने कब्जा प्राप्त कर तत्समय से ही अपीलार्थी अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि रेस्पोडेन्ट के पति हसनमौहम्मद ने अपीलाधीन आराजीयात का हिबानामा किया होता तब मृतक हसनमौहम्मद के जीवनकाल में ही अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपने नाम कराने की कार्यवाही अवश्य की जाती, किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोइ कार्यवाही

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

नही की गयी है, बल्कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन विवादित आराजी की बाबत रेस्पोडेन्ट के मृतक पति हसनमौहम्मद व अन्य सहकाश्तकारान के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकार टपूकडा के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा संख्या 459/2025 दिनाक 15.12.2025 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तथाकथित हिबानामा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया है, ऐसा कोई उल्लेख अंकित नही किया गया है। विवादित आराजीयात की बाबत बंटवारा एवं हुक्मइम्तनाई दवामी बाबत वाद बनुवान जानमौहम्मद बनाम फजरी वगै0 मुकदमा संख्या 88/2026 दिनाक 12.03.2026 को रेस्पोडेन्ट व अन्य सहखातेदारान के विरूद्व पेश किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट के पति द्वारा आराजी अपीलान्ट को हिबानामा किया जाना अंकित किया है, किन्तु हिबानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में ईन्द्राज कराने का दायित्त भी तो अपीलान्ट का था, अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर विधिक प्रावधानुसार कार्यवाही की जानी चाहिऐ थी। अपील अपील अपीलान्ट सारहीन है, खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित निर्णय 11.02.2026 प्रकरण संख्या 66/2025 उनवान फजरी बनाम सरकार किस्म धारा 135 (2) यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)